न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी –श्रीमति सीता शर्मा, आर.ए.एस.

अनवान

1 मंगल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 38 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.) –प्रार्थी

–बनाम–

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ (राज.)। –अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट)

दिनांक – 14.02.2024

प्रकरण संख्या – 68/2023

जीसीएमएस– 2023/95

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

प्रार्थी के नाम से तहसील श्रीविजयनगर के चक 38 जीबी का पं.नं. 195/434 मु.नं. 22 किला नं. 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 23, 24/2 में 3.100 है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के नाम की उक्त भूमि की जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से मंगत सिंह पुत्र छलेन्द्र सिंह नाम दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम मंगल सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह है।उक्त रकबा चक 38 जीबी का पं.नं. 195/434 मु.नं. 22 किला नं. 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 23, 24/2 में 3.100 है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में लिपिकीय भूल एवं त्रुटि, सहवन से प्रार्थी के गलत दर्ज हुए नाम को सही करवाना चाहता है। व प्रार्थी के राशन कार्ड , पहचान पत्र, पैन कार्ड , आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक में भी प्रार्थी का नाम मंगल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह दर्ज है। राशन कार्ड , पहचान पत्र, पैन कार्ड , आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक की फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र की गयी है।

प्रार्थी रकबा चक 38 जीबी का पं.नं. 195/434 मु.नं. 22 किला नं. 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 23, 24/2 में 3.100 है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम मंगत सिंह पुत्र श्री छलेन्द्र सिंह के स्थान पर मंगल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह की दुरूस्ती करवाना चाहता हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार राज तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों राशन कार्ड , पहचान पत्र, पैन कार्ड , आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक एवं स्कूल से प्राप्त टीसी की छायाप्रति एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर से प्राप्त रिपोर्ट गहन परीक्षण करने पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है। चक 38 जीबी का पं.नं. 195/434 मु.नं. 22 किला नं. 1 ता 3, 9 ता 12, 19 ता 23, 24/2 में 3.100 है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्ती करते हुए मंगत सिंह पुत्र श्री छलेन्द्र सिंह के स्थान पर मंगल सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर को दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.02.2024को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सीता शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner